



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, 17 जनवरी, 1975

पौष 27, 1896 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 227/सत्रह-वि-1-74-74

लखनऊ, 17 जनवरी, 1975

अधिसूचना

विधि

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1974 पर दिनांक 14 जनवरी, 1975 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम  
तथा प्रारम्भ

(2) "यह धारा और धारा 9 तुरन्त प्रवृत्त होगी, और शेष धाराएँ 8 जून, 1973 से प्रवृत्त होंगी समझी जायेंगी।"

2—एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य की नीति को कार्यान्वित करने के लिए है।

घोषणा

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1961 को धारा 3 का संशोधन

3—उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में,—

(क) खण्ड 11 में, शब्द "नियत रीति से" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा 4-क में निर्धारित रीति से" रख दिए जाएं।

(ख) खण्ड (11) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(11-क) 'वयस्क' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी आयु 18 वर्ष की हो गई हो, तथा 'अवयस्क' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो वयस्क न हो।"

(ग) खण्ड 17 में शब्द "किन्तु" के पश्चात् शब्द तथा अंक "सिवाय अध्याय 3 के" बढ़ा दिए जाएं।

(घ) खण्ड (18) में, शब्द "सिंचित भूमि या वाग भूमि" के स्थान पर शब्द "सिंचित भूमि, वाग भूमि या ऊसर भूमि" रख दिए जाएं।

धारा 4 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 में, खण्ड (2) में,—

(क) शब्द "किसी असिंचित भूमि की ढाई हेक्टर भूमि" के स्थान पर शब्द "किसी एक फसल वाली भूमि की ढेढ़ हेक्टर अथवा किसी अन्य असिंचित भूमि की ढाई हेक्टर भूमि" रख दिये जाएं।

(ख) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—खण्ड (2) के प्रयोजनार्थ पद 'एकल फसल वाली भूमि' का तात्पर्य किसी ऐसी असिंचित भूमि से है जिसमें किसी राजकीय सिंचन संकर्म अथवा निजी सिंचन संकर्म से आश्रवासित सिंचाई के परिणामस्वरूप किसी कृषि वर्ष में केवल एक फसल उगायी जा सके।"

नयी धारा 4-क का बढ़ाया जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"4-क—नियत प्राधिकारी वर्ष 1378 फसली, 1379 फसली और 1380 फसली के संगत खसरो, गांव के नवीनतम नक्शों तथा ऐसे अन्य अभिलेखों सिंचित भूमि का की, जिन्हें वह आवश्यक समझे, जांच करेगा और जहां वह आवश्यक समझे स्थानीय निरीक्षण भी कर सकता है, और तदुपरान्त यदि नियत प्राधिकारी को यह राय हो कि—

प्रथमतः—(क) उपर्युक्त वर्षों में से किसी एक वर्ष में किसी फसल के सम्बन्ध में—

(1) समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या 1579/डब्लू 23-62 डब्लू-1946, दिनांक 31 मार्च, 1953 में अधिसूचित सिंचाई दरों की अनुसूची संख्या 1 में सम्मिलित किसी नहर द्वारा या;

(2) किसी लिफ्ट सिंचन नहर द्वारा, या

(3) किसी राजकीय नलकूप या किसी निजी सिंचन संकर्म द्वारा, किसी भूमि के लिये सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी; और

(ख) उपर्युक्त वर्षों में से किसी एक वर्ष में ऐसी भूमि में कम से कम दो फसलें उगायी गयी थीं; या

द्वितीयतः—उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रवृत्त होने के पश्चात् परिचालित होने वाले राजकीय सिंचन संकर्म द्वारा किसी भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो गयी और ऐसे संकर्म के परिचालित होने के दिनांक तथा धारा 10 के अधीन नोटिस जारी किये जाने के दिनांक के बीच किसी कृषि वर्ष में ऐसी भूमि में कम से कम दो फसलें उगायी गयी थीं; या

तृतीयतः—(क) कोई भूमि किसी लिफ्ट सिंचन नहर या राजकीय नलकूप अथवा निजी सिंचन संकर्म के प्रभावकारी कमाण्ड क्षेत्र में स्थित है, और

(ख) उसकी मिट्टी का वर्ग तथा गुण ऐसा है कि उसमें किसी कृषि वर्ष में कम से कम दो फसलें उगायी जा सकती हैं;

तो नियत प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी भूमि को सिंचित भूमि अवधारित करेगा।

स्पष्टीकरण—1—इस धारा के प्रयोजनार्थ पद "प्रभावकारी कमाण्ड क्षेत्र" का तात्पर्य किसी ऐसे क्षेत्र से है जिसका किसी भी दिशा में सबसे दूर का खेत—

(क) वर्ष 1378 फसली, 1379 फसली और 1380 फसली में से किसी वर्ष में; या

(ख) खण्ड "द्वितीयतः" में अभिविष्ट कृषि वर्ष में,

सिंचित किया गया हो।

स्पष्टीकरण—2—किसी निजी सिचन संकर्म का स्वामित्व तथा उसका अवस्थान इस धारा के प्रयोजनार्थ संगत न होगा ।

स्पष्टीकरण—3—जहां वर्ष 1378 फसली, 1379 फसली और 1380 फसली में से किसी भी वर्ष में किसी भूमि में गन्ने की फसल उगाई गई हो तो यह समझा जायगा कि इन वर्षों में से किसी भी वर्ष में उस पर दो फसलें उगाई गई थीं और वह भूमि किसी कृषि वर्ष में दो फसल उगाने योग्य है ।

6—मूल अधिनियम की धारा 5 में—

धारा 5 का संशोधन

(क) उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जाएं, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण—1—किसी खातेदार पर प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र अवधारित करने में, उसके द्वारा घृत ऐसी समस्त भूमि को जो उसके वैयक्तिक अधिकार में हो, चाहे उसके नाम में हो या दिखावे के लिए किसी अन्य व्यक्ति के नाम में हो, ध्यान में रखा जायगा ।

स्पष्टीकरण—2—यदि कोई भूमि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मूलतः धृत थी जो वास्तव में उसके कृषकीय कब्जे में चली आ रही है किन्तु बाद में, वार्षिक रजिस्ट्रों में किसी अन्य व्यक्ति का नाम, या तो पूर्ववर्ती व्यक्ति के नाम के अतिरिक्त अथवा उसके नाम के स्थान पर और चाहे उसे किसी अन्तरण, विलेख या लाइसेन्स के आधार पर या किसी डिग्री के आधार पर दर्ज किया गया हो तो, जब तक कि नियत प्राधिकारी के संतोषानुसार इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, यह मान लिया जायगा कि प्रथम उल्लिखित व्यक्ति ही भूमि को घृत किये हुए है और वह उसके द्वारा द्वितीय उल्लिखित व्यक्ति के नाम दिखावे के रूप में घृत है ।”

(ख) उप-धारा (2) में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

“(ग) कोई इन्टरमीडिएट या डिग्री कालेज जो कृषि विषयक शिक्षा देता हो या स्नातकोत्तर कालेज;”

(ग) उप-धारा (3) में—

(1) प्रारम्भिक पैरा में शब्द, अंक तथा कोष्ठक “उप-धारा (4), (5) और (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए” के स्थान पर शब्द, अंक तथा कोष्ठक “उप-धारा (4), (5), (6) और (7) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए” रख दिये जाएं ।

(2) खण्ड (ग) और (घ) निकाल दिये जाएं ।

(3) स्पष्टीकरण में, खण्ड (त) में, शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक “खण्ड (क)” के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक “इस उप-धारा के खण्ड (क) या खण्ड (ख)” रख दिये जाएं ।

(घ) उपधारा (4) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

“प्रतिबन्ध यह है कि यदि फर्म, सहकारी समिति या अन्य सोसाइटी या व्यक्तियों के समुदाय में किसी व्यक्ति की प्रविष्टि के ठीक पूर्व, उसके पास कोई भूमि घृत न हो अथवा उसके पास उपर्युक्त अंश के अनुपात से कम क्षेत्रफल की भूमि घृत हो, तो उसके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि, यथास्थिति, उसका उस जोत में कोई अंश नहीं है या अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल है, और यथास्थिति, सम्पूर्ण जोत या उसके शेष क्षेत्रफल के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह शेष सदस्यों द्वारा फर्म, सहकारी समिति या अन्य सोसाइटी या व्यक्तियों के समुदाय में उनके अपने-अपने अनुपात में घृत है ।”

(ङ) उप-धारा (5) में खण्ड (ख) में, शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक “खण्ड (घ)” के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक “खण्ड (ङ)” रख दिये जायं ।

(च) उप-धारा (6) में, वर्तमान स्पष्टीकरण को पुनः संख्यांकित करके उसका स्पष्टीकरण 2 कर दिया जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित स्पष्टीकरण 2 के पहले निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण—इस उप-धारा के प्रयोजनार्थ पदावली ‘दिनांक 24 जनवरी, 1971 के पश्चात् ऐसी भूमि के किसी अन्तरण’ के अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं:—

(क) किसी वाद में, 24 जनवरी, 1971 के पश्चात् किसी व्यक्ति की सह-खातेदार के रूप में घोषणा, भले ही ऐसा वाद 24 जनवरी, 1971 को विचाराधीन था अथवा उसके पश्चात् संस्थित किया गया था ;

(ख) किसी अन्य विलेख या संलेख में अथवा किसी अन्य रीति से किसी व्यक्ति के पक्ष में की गयी सम्प्रभावी कोई स्वीकृति, अभिस्वीकृति या त्याग अथवा घोषणा ।”

(छ) उप-धारा (7) में वर्तमान स्पष्टीकरण को पुनः संशोधित करके उसको स्पष्टीकरण-2 कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संशोधित स्पष्टीकरण-2 के पहले निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण-1—यदि उक्त तिथि के पश्चात् कोई वाद इस घोषणा के लिये संस्थित किया जाय कि उक्त तिथि को या उसके पूर्व किसी भूमि का बटवारा हो चुका हो तो ऐसी घोषणा की उपेक्षा की जायेगी और उस पर विचार नहीं किया जायगा और यह समझा जायगा कि उक्त तिथि को या उसके पूर्व कोई बटवारा नहीं हुआ है।”

धारा 6 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 6 में—

(क) खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :—

“(छ) वह भूमि जो नियत सीमा तक, उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक प्रकार की गोशाला द्वारा 8 जून, 1973 के पहले से श्रुत हो; ”

(ख) खण्ड (ज) निकाल दिया जाय।

धारा 8 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 8 में, शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक ‘खण्ड (क)’ के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक ‘खण्ड (क) या खण्ड (ख)’ रख दिये जायें।

संक्रमण कालीन उपबन्ध

9—जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व, किसी खातेदार के सम्बन्ध में अतिरिक्त भूमि अवधारित करने के लिये मूल अधिनियम के अधीन कोई आदेश दिया गया हो, तो नियत प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय, इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में किये गये संशोधनों के अनुसार अतिरिक्त भूमि का पुनः अवधारण कर सकता है।

THE UTTAR PRADESH IMPOSITION OF CEILING ON LAND HOLDINGS (AMENDMENT) ACT, 1974

(U. P. ACT NO. 2 OF 1975)

[Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Adhikaram Jot Secma Aropan (Sanshodhan) Adhiniyam, 1975].

AN ACT

further to amend the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 1974. Short title and commencement.

(2) This section and section 9 shall come into force at once, and the remaining sections shall be deemed to have come into force on June 8, 1973.

2. It is hereby declared that this Act is for giving effect to the policy of the State towards securing the principles specified in clauses (b) and (c) of Article 39 of the Constitution. Declaration.

3. In section 3 of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960, hereinafter referred to as the principal Act— Amendment of section 3 of the U. P. Act No. 1 of 1961.

(a) in clause (11) for the words "in the manner prescribed" the words and figures "in the manner laid down in section 4-A" shall be substituted ;

[For Statement of Objects and Reasons, please see Uttar Pradesh Gazette, Extraordinary, dated July 25, 1974].

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 16, 1974 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on August 22, 1974).

(Received the Assent of the President on January 14, 1975 under article 201 of the Constitution of India and was published in the Uttar Pradesh Gazette, Extraordinary, dated January 17, 1975).

(b) after clause (11), the following clause shall be inserted, namely :—

“(11-A) ‘Adult’ means a person who has attained the age of 18 years and ‘Minor’ means a person who is not an adult.”

(c) in clause (17), after the word “but”, the words and figure “except in Chapter III” shall be inserted.

(d) in clause (18), for the words “irrigated land or grove-land”, the words “irrigated land, grove-land or usar land” shall be substituted.

Amendment of section 4.

4. In section 4 of the principal Act, in clause (ii) —

(a) for the words “two and half hectares of any un-irrigated land” the words “one and one-half hectares of single crop land or two and a half hectares of any other un-irrigated land”, shall be substituted ;

(b) at the end the following Explanation shall be inserted, namely :—

“Explanation—For the purposes of clause (ii), the expression ‘single crop land’ means any un-irrigated land capable of producing only one crop in an agricultural year in consequence of assured irrigation from any State Irrigation Work or private irrigation work.”

Insertion of new section 4-A.

5. After section 4 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

“4-A. The prescribed authority shall examine the relevant *khasras* for the years 1378 *Fasli*, 1379 *Fasli* and 1380 *Fasli*, the latest village map and such other records as it may consider necessary, and may also make local inspection where it considers necessary, and thereupon if the prescribed authority is of opinion :—

firstly, (a) that, irrigation facility was available for any land in respect of any crop in any one of the aforesaid years ; by—

(i) any canal included in Schedule no. 1 of irrigation rates notified in notification no. 1579-W/XXIII-62-W-1946, dated March 31, 1953, as amended from time to time ; or

(ii) any lift irrigation canal ; or

(iii) any State tube-well or a private irrigation work ; and

(b) that at least two crops were grown in such land in any one of the aforesaid years ; or

secondly, that irrigation facility became available to any land by a State Irrigation Work coming into operation subsequent to the enforcement of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 1972, and at least two crops were grown in such land in any agricultural year between the date of such work coming into operation and the date of issue of notice under section 10 ; or

thirdly, (a) that any land is situated within the effective command area of a lift irrigation canal or a State tube-well or a private irrigation work ; and

(b) that the class and composition of its soil is such that it is capable of growing at least two crops in an agricultural year ;

then the prescribed Authority shall determine such land to be irrigated land for the purposes of this Act.

Explanation I—For the purposes of this section the expression ‘effective command area’ means an area, the farthest field whereof in any direction was irrigated—

(a) in any of the years 1378 *Fasli*, 1379 *Fasli* and 1380 *Fasli* ; or

(b) in any agricultural year referred to in the clause ‘secondly’

Explanation II—The ownership and location of a private irrigation work shall not be relevant for the purpose of this section.

Explanation III—Where sugarcane crop was grown on any land in any one of the years 1378 *Fasli*, 1379 *Fasli* and 1380 *Fasli*, it shall be deemed that at least two crops were grown on it in any of these years, and that the land is capable of growing two crops in an agricultural year.”

(a) after sub-section (1), the following Explanations thereto shall be inserted, namely—

*Explanation I*—In determining the ceiling area applicable to a tenure holder, all land held by him in his own right, whether in his own name, or ostensibly in the name of any other person, shall be taken into account.

*Explanation II*—If a land was originally held by a person who continues to be in its actual cultivatory possession and the name of any other person is subsequently entered in the annual registers either in addition to or to the exclusion of the former and whether on the basis of a deed of transfer or licence or on the basis of a decree, it shall be presumed, unless the contrary is proved to the satisfaction of the prescribed authority, that the first mentioned person continues to hold the land and that it is so held by him ostensibly in the name of the second mentioned person."

(b) in sub-section (2), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—

"(c) an intermediate or degree college imparting education in agriculture or a post-graduate college;" ;

(c) in sub-section (3) —

(i) in the opening paragraph, for the words, figures and brackets "subject to the provisions of sub-sections (4), (5) and (6)", the words, figures and brackets, "subject to the provisions of sub-sections (4), (5), (6) and (7)" shall be substituted ;

(ii) clauses (c) and (d) shall be omitted ;

(iii) in the Explanation, in clause (p), for the word, letter and brackets "clause (a)", the words, letters and brackets "clause (a) or clause (b) of this sub-section", shall be substituted ;

(d) in sub-section (4), the following proviso thereto shall be inserted, namely :—

"Provided that where a person immediately before his admission to the firm, co-operative society, or other society or association of persons, held no land or an area of land less than the area proportionate to his aforesaid share then he shall be deemed to hold no share, or as the case may be, only the lesser area in that holding, and the entire or the remaining area of the holding, as the case may be, shall be deemed to be held by the remaining members in proportion to their respective shares in the firm, co-operative society, or other society or association of persons."

(e) in sub-section (5), in clause (b) for the word, letter and brackets "clause (d)", the word, letter and brackets "clause (e)" shall be substituted ;

(f) in sub-section (6), the existing Explanation shall be re-numbered as Explanation II thereof, and before Explanation II as so numbered, the following Explanation shall be inserted, namely :—

*Explanation I*—For the purposes of this sub-section, the expression 'transfer of land made after the twenty-fourth day of January, 1971', includes—

(a) a declaration of a person as a co-tenure-holder made after the twenty-fourth day of January, 1971, in a suit, irrespective of whether such suit was pending on or was instituted after the twenty-fourth day of January, 1971 ;

(b) any admission, acknowledgment, relinquishment or declaration in favour of a person to the life effect, made in any other deed or instrument or in any other manner."

(g) in sub-section (7), the existing Explanation shall be re-numbered as Explanation II thereof, and before Explanation II as so numbered, the following Explanation shall be inserted, namely :—

*Explanation I*—If a suit is instituted after the said date for declaration that a partition of land has taken place on or before the said date, then such declaration shall be ignored and not be taken into account, and it shall be deemed that no partition has taken place on or before the said date."

Amendment of section 6.

7. In section 6 of the principal Act:—

(a) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:—

"(g) land held from before June 8, 1973, by a Goshala of a public nature, registered under the Uttar Pradesh Goshala Adhiniyam, 1964, to the extent prescribed;" ;

(b) clause (h) shall be omitted.

Amendment of section 8.

8. In section 8 of the principal Act, for the word, letter and brackets "(g)" or clause (v) shall be substituted.

Transitory provision.

9. Where an order determining the surplus land in relation to a tenureholder has been made under the principal Act, before the commencement of this Act, the prescribed authority may, at any time within a period of two years from the commencement of this Act, re-determine the surplus land in accordance with the principal Act as amended by this Act.